UPGK010023092026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 988/2026,

1- रवि यादव पुत्र धुन्ना यादव उर्फ ध्रुपचन्द,

2- प्रदुम्न यादव पुत्र शंकर यादव,

3- धनन्जय यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव,

निवासीगण- लगड़ी, थाना- गुलरिहा,

जनपद- गोरखपुर। आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 180/2026,

धारा- 109,351 (3),352,191 (2) भारतीय न्याय संहिता,

थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर।

20.03.2026

आदेश

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदकगण/अभियुक्तगण रवि यादव, प्रदुम्न यादव व धनन्जय यादव की ओर से अपराध संख्या- 180/2026, धारा- 109,351 (3),352,191 (2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर में प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 04.03.2026 को सुबह सूरज, मोहन व नीरज ने प्रथम सूचनाकत्री सन्ध्या के पुत्र अमन गुप्ता को पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज देते हुए व जान से मारने की कोशिश किये। उसके बाद दोपहर 03:00 बजे के आस-पास ही दूसरे मोहल्ले के लड़को को बुलाकर गोल बनाकर आये तथा जान से मारने की कोशिश किया व जान से मारने की धमकी दी, जिनकी पहचान प्रदुम यादव, धनन्जय यादव व रवि यादव के रूप में हुई।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उन्हें इस मामले में लिप्त किया गया है। मामले की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने में हुए विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की तरफ से इस प्रक्रम पर नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व आघात आख्या का आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की प्रबल आशंका है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तो द्वारा आहत अमन गुप्ता को जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डे से प्रहार कर गम्भीर उपहति कारित की गयी तथा भद्दी-भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचनाकत्री सन्ध्या के पुत्र अमन गुप्ता को लाठी-डण्डा से प्रहार कर गम्भीर उपहति कारित किये जाने तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है, जिससे आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अपने जमानत प्रार्थना-पत्र में इन्कार किया है। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत अमन गुप्ता के शरीर के पर 05 उपहति आना उल्लिखित है, जो सिर, गर्दन, पीठ के निचले हिस्से, दाहिनी बीच वाली उंगली व हाथ में दर्द की शिकायत के रूप में पायी गयी है, किन्तु कोई बाहरी उपहति नहीं पायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को किसी अपराध में पूर्व में नामित अथवा दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदकगण/अभियुक्तगण को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की गई है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदकगण/अभियुक्तगण को सशर्त अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण रवि यादव, प्रदुम्न यादव व धनन्जय यादव द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण उपरोक्त में प्रत्येक को सम्बन्धित थानाध्यक्ष/न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन मुबलिग 50,000-50,000/-रूपये का स्वबन्ध पत्र, उसी धनराशि के दो-दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाय-

1- आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/ न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेंगे, तथा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत

किये जाने तक सप्ताह में एक दिन विवेचक/सम्बन्धित थाने में उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करेंगे।

2- आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगे।

3- यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण के पास पासपोर्ट है, तो वह उसे सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगे।

4- आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किए जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगे।

5- आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगे।

6- आवेदकगण/अभियुक्तगण उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

7- आवेदकगण/अभियुक्तगण मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगे।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
20 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.20 15:33:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court